राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर–303001 दूरभाष 0141–2374644

क्रमांक एफ–4 / मु. / याता / (लेखा–08) / 2023 / 2500 दिनांकः–09.10.2023

कार्यालय आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 05.10.2023 को की गई घोषणा ''सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को रोडवेज का मंथली पास बनवाने पर किराये में 90 प्रतिशत छूट दी जायेगी'' की कियान्विति के क्रम में प्राप्त शासन उप सचिव, परिवहन, परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.17(4)परि / 2023 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या. 162302175 दिनांक 08.10.2023 के अनुसार सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को रोडवेज का मंथली पास बनवाने पर किराये में 90 प्रतिशत छूट निगम की साधारण एवं द्रुतगामी बसों में राजस्थान राज्य की सीमा में दिये जाने की सहमति प्रदान की गयी है।

उक्त के क्रम मे सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को वर्तमान में दी जा रही 50 प्रतिशत छूट को रोडवेज का मंथली पास बनवाये जाने पर राजस्थान राज्य की सीमा में किराये में 90 प्रतिशत छूट दिये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती हैः–

- यह सुविधा निगम की साधारण एवं द्रुतगामी बसों में राजस्थान राज्य की सीमा में देय होगी।
- यह सुविधा मासिक पास मे वर्णित संबंधित स्टैंड के लिए यात्रा करने हेतु आर.एफ. आई.डी कार्ड के माध्यम से ही दी जावेगी।
- आर.एफ.आई.डी. कार्ड के शुल्क एवं छूट के अलावा मासिक यात्रा किराया राशि की देय राशि संबंधित लाभार्थी द्वारा निगम कोष में जमा करवायी जावेगी।

इस रियायती यात्रा से निगम पर वास्तविक रूप से कारित होने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार (45 प्रतिशत) का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा निगम को किया जावेगा। जिसकी गणना पूर्वानुसार आदेश संख्या एफ4 / मु. / याता. / लेखा / 2011 / 1335 दिनांक 07.06.2011 के अनुसार प्रतिमाह अन्य निःशुल्क / रियायती यात्रा के वित्तीय भार की सूचनाओं के विवरण के साथ मुख्य प्रबन्धकों द्वारा सांख्यिकी शाखा, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित की जावेगी, जिसके आधार पर राज्य सरकार से उक्त राशि के पुर्नभरण संबंधित आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(नथमल डिडेल)
प्रबन्ध निदेशक

Signature Valid
Digitally signed by Nathmal Didel
Designation : Managing Director
Date: 2023.10.09 1?:08:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4872520

क्रमांकः—एफ—4/मु./याता/लेखा—08/2023/2560 दिनांकः—09.10.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय,राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव,श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय,वित्त विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव,श्रीमान अध्यक्ष महोदय, रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
5. आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
6. शासन उप सचिव, परिवहन, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को पत्रांक प.17 (4) परि/2023 दिनांक 09.10.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
7. समस्त विभागाध्यक्ष.. रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
8. जोनल मैनेजर.. रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
9. महाप्रबन्धक/सयुंक्त महाप्रबन्धक(......................), रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
10. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक(................), रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
11. उप महाप्रबधक (आई.टी./ सांख्यिकी), रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाईट पर उपलब्ध कराना एवं तदानुसार कार्यवाही कराना सुनश्चित करावें।
12. लेखाधिकारी (टिकिट.भण्डार)........................... रा.रा.प.प.निगम।
13. मुख्य प्रबन्धक.. रा.रा.प.प.निगम।

प्रबन्ध निदेशक

Signature valid

Digitally signed by Na[illegible]mal Didel
Designation : Mana[illegible]g Director
Date: 2023.1[illegible]0.09 1[illegible]:08:58 IST
Reason: Appro[illegible]

RajKaj Ref No. : 4872520